न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 58 / 2023

(GCMS 2023/327)(21223608989693 2)

प्रेम सागर पुत्र श्री कलीराम मित्तल, निवासी वार्ड नम्बर 06 सादुलशहर, बस स्टेण्ड के पास, सादुलशहर तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 96611–07611)

बनाम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10.01.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री प्रेम सागर स्वयं उपस्थित हुए, उन्हें सुना गया।

अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने जिला कलक्टर, कार्यालय, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.07.2022 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी को जुर्माना से दण्डित कर, उसे वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी प्रेम सागर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.07.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी:

> जनरल मार्केट, सादुलशहर में दुकान संख्या 91 व 92 की जांच के सम्बन्ध में दिनांक 25.05.2022 को व 21.06.2022 को प्रार्थना पत्र दिया गया था, इस पर श्रीमान् द्वारा जो कार्रवाई की गई और जांच करवाई गई है, उसके प्रमाणित कागज दिये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.23 17:23:27 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ 40(33)( ) सामान्य / 2023 / 4486 दिनांक 18.07.2023 से अपील की निम्नानुसार जवाब दिया है:

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

क्र.सं.	चाही गई सूचना	जवाब
1	जनरल मार्किट, सादुलशहर में दुकान संख्या 91 व 92 की जांच के सम्बन्ध में दिनांक 25.05.2022 को व 21.06. 2022 को प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिस पर श्रीमान्जी द्वारा जो कार्यवाही की गई और जांच करवाई गई है, की प्रमाणित प्रति चाही गई है।	इस कार्यालय के समसंख्यक द्वारा प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सादुलशहर क्रमांक 3802 दिनांक 27.05.2023 के द्वारा भिजवाया गया है एवं रिसिट के विविध रजिस्टर के द्व्ारा क्रमांक 2251 दिनांक 22.06.2022 द्वारा आयुक्त नगर परिषद्, श्रीगंगानगर को मूल ही भिजवाया गया है।

-sd-
अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार प्रार्थी को सूचित किया गया है कि उनके **द्वारा चाही गई** सूचना का सम्बन्ध अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सादुलशहर से होने के कारण उन्होनें ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सादुलशहर को स्थानान्तरित किया जा चुका है। **अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को** अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सादुलशहर **के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचना हेतु अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सादुलशहर के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील यहां से खारिज की जाती है आदेश की प्रति **अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rajh
Date: 2024.01.23 17:23:27 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर